

इज़रायल के लिये कुशल श्रमिकों की भरती

प्रलम्बिस के लिये:

राष्ट्रीय कौशल विकास नगिम, इज़रायल, उत्तप्रवास, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ट्रेड यूनियन

मेन्स के लिये:

प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय अभ्यास, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में कार्य करने वाले भारतीयों से संबंधित चिंताएँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा सरकार ने [राष्ट्रीय कौशल विकास नगिम \(National Skill Development Corporation- NSDC\)](#) के सहयोग से, मुख्य रूप से वनिरिमाण गतिविधियों के लिये, लगभग **10,000 श्रमिकों** को [इज़रायल](#) भेजने के लिये बड़े पैमाने पर भरती अभियान शुरू किया है।

- NSDC द्वारा इस प्रयास को "[पासपोर्ट टू ड्रीम्स अब्रॉड](#)" के रूप में सराहनीय माना गया है कति [उत्तप्रवास नयिमों](#) के उल्लंघन से संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए मुख्य रूप से [ट्रेड यूनियनों](#) ने इसका वरिोध किया है।

इज़रायल में रोज़गार के अवसर तथा संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **इज़रायल में आकर्षक अवसर:** इज़रायल में पलस्तर श्रमिक, सरिमिक टाइल श्रमिक, आयरन बेंडगि तथा फरेम श्रमिक हेतु **रकितियाँ मौजूद** हैं।
 - भारत से चयनित उममीदवारों को लगभग **₹1.37 लाख (6,100 इज़रायली शेकेल)** का मासिक वेतन देने का वादा किया गया है।
 - **फरवरी 2023** के आँकड़ों अनुसार **इज़रायल में भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 18,000** थी जो स्वास्थ्य देखभाल, हीरा व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं शकिसा जैसे वभिन्न व्यवसायों में कार्यरत थे।
- **ट्रेड यूनियनों द्वारा उठाई गई चिंताएँ:** ट्रेड यूनियन **उत्तप्रवास अधनियम के उल्लंघन** का हवाला देते हुए इस रोज़गार अभियान को चुनौती दे रहे हैं।
 - इज़रायल में वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से **हमास के साथ संघर्ष** के कारण, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
 - उनका तर्क है कयिह **कदम संघर्ष क्षेत्रों से नागरिकों को वापस लाने के लोकाचार के खिलाफ** है और सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिये बेरोज़गारी जैसे मुद्दों का उपयोग करने का आरोप लगाते हैं।
 - उत्तप्रवास नयिमों के अनुसार, संघर्ष क्षेत्रों में जाने वाले श्रमिकों को **वदिश मंत्रालय के 'ई-माइग्रेट' पोर्टल** पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। हालाँकि इज़रायल इस पोर्टल की सूची में नहीं है।

नोट: संघर्ष क्षेत्रों या पर्याप्त श्रम सुरक्षा के बिना कार्यस्थलों पर जाने वाले श्रमिकों को वदिश मंत्रालय के **'ई-माइग्रेट' पोर्टल** पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।

- **इमिग्रेशन चेक रकिवायर्ड' (ECR) स्कीम के तहत** जारी कयि गए पासपोर्ट अफगानस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, दकषणि सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन सहित **18 देशों की यात्रा करने वाले श्रमिकों** को कवर करते हैं। **इज़राइल इस सूची में शामिल नहीं है।**
- **प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ:**
 - प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ **अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के दो सम्मेलनों द्वारा शासित होती हैं: **रोज़गार के लिये प्रवासन सम्मेलन (संशोधित), 1949** और **प्रवासी श्रमिक (अनुपूरक प्रावधान) सम्मेलन, 1975**।
 - जबकि भारत ने दोनों सम्मेलनों का अनुमोदन नहीं किया है **इज़राइल ने वर्ष 1953 में 1949 के सम्मेलन की पुष्टि की थी।**
 - 1949 के सम्मेलन में **उत्तप्रवास (Emigration)** और **आप्रवासन (Immigration)** से संबंधित भ्रामक प्रचार के वरिुद्ध

किये गए उपायों पर जोर दिया गया।

- **अतिरिक्त विचार:** ILO को वर्ष 2024 में बेरोज़गारी में वैश्विक वृद्धि का पूर्वानुमान है। यह रपॉर्ट देशों से बढ़ती **बेरोज़गारी** चिंताओं को दूर करने के लिये **संवेदनशील प्रवासन नीतियों और कौशल विकास पहल को डज़ाइन करने का आग्रह** करती है।
 - वर्ष 2019 में एक **संसदीय समिति** ने भारतीय प्रवासियों के कल्याण के लिये **उन्नत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देते हुए एक प्रवासन नीति का मसौदा तैयार करने की सफ़ारिश की।**

नोट: वदिशों में काम करने का एक अनौपचारिक तरीका, **डंकी फ़्लाइट (Donkey Flight)**, हाल ही में समाचारों में आया। यह **संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में प्रवेश करने के लिये उपयोग की जाने वाली एक अवैध आप्रवासन विधि** है।

- इसमें गैरकानूनी तौर पर विभिन्न देशों में ठहरना और सीमा पार करना शामिल है, जो अक्सर **मानव तस्करी** तथा एजेंटों पर निर्भर होता है।

आगे की राह

- **श्रमिक वर्ग की चिंताएँ:** **श्रमिक वर्ग (Trade unions)** की चिंताओं को दूर करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये उनके साथ रचनात्मक बातचीत में संलग्न रहें।
- **सुरक्षा उपाय बढ़ाना:** विशेष रूप से इज़राइल में भू-राजनीतिक चुनौतियों पर विचार करते हुए, मज़बूत सुरक्षा प्रोटोकॉल और आकस्मिक योजनाएँ स्थापित करके भर्ती किये गए श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके हितों को प्राथमिकता दें।
- **व्यापक प्रवास नीति विकसित करना:** लंबे समय में भारतीय प्रवासियों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये संसदीय समिति की सफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए एक **व्यापक प्रवासन नीति** का मसौदा तैयार करने तथा लागू करने की दिशा में काम करें।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. दक्षिण-पश्चिम एशिया का नमिनलखित में से कौन-सा एक देश भूमध्यसागर तक फैला नहीं है? (2015)

- सीरिया
- जॉर्डन
- लेबनान
- इज़रायल

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. "भारत के इज़रायल के साथ संबंधों ने हाल ही में एक ऐसी गहराई और विविधता हासिल की है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" विविधता कीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2018)